



ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालय- शिमला, तीसरा तल, मॉडर्न आईएसबीटी, टूटीकंडी, शिमला-171004
फोन: 0177-2802202-05, ई-मेल: law.sml@obc.co.in, co.sml@obc.co.in

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री
हेतु ई-नीलामी के लिए
सार्वजनिक सूचना

चल/अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु कर्जदार/साझेदारों/गारंटर्स के लिए सार्वजनिक सूचना सह नोटिस
ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.10.2019 सायं 04:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 31.10.2019 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 01:00 बजे के मध्य

ईएमडी रिमिटेंस एकाउंट विवरण:

A/c No: 12971181000019, एकाउंट का नाम: ईएमडी ई-नीलामी खाता आंचलिक कार्यालय शिमला;
IFSC Code: ORBC0101297, ब्रांच: न्यू शिमला

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहृत प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 (नं. 54 ऑफ 2002) प्रतिभूतिहृत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पट्ट के तहत बैंक के पास रेहन/बंधक पर रखी हुई चल-अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" एवं "जैसा है जो है आधार" एवं "वहां जो भी है आधार" पर इसकी बिक्री करने हेतु अधिकार से हमारे शाखा कार्यालय के साथ निम्नलिखित लोन एकाउंट में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहृत प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के आलोक में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया था। वेबसाइट: <http://www.bankeauctions.com> पर दिये गये ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री की जायेगी।

सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी एवं गारंटर का नाम	संपत्ति के मालिक का विवरण	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि कब्जा की तिथि	(i) आरक्षित मूल्य (ii) ईएमडी (रु.) (iii) बोली बकाया राशि (रु.)	5 मिनट के असीमित विस्तार सहित ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	शाखा कार्यालय : कुमारहट्टी, बडोग रोड, पी.ओ. कुमारहट्टी तह. एवं जिला सोलन, हि.प्र. फोन नं. 01792-266036, ई-मेल : bm1888@obc.co.in ऋणी : श्री कर्मचंद पुत्र श्री सुरेश चंद, गांव शोल	श्री कर्मचंद पुत्र श्री सुरेश चंद के नाम में स्थित सब रजिस्ट्रार सोलन (हि.प्र.) सहित पंजीकृत पंजी. बंधक डीड सं. 51/2018 के तहत ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बी/ओ कुमारहट्टी के पक्ष में पंजीकृत बंधक, सेल डीड सं. 1820/2017 दिनांक 12.09.2017, के तहत मौजा- लोहनजी हदबस्त सं. 803, तहसील एवं जिला सोलन (हि.प्र.) में स्थित वर्ष 2012-2013, माप 00-07-00 बीघा (7 बिस्वा) हेतु जमाबंदी अनुसार खेवट/खतौनी सं. 50 मिन/56, खसरा सं. 220/184/155/39 में शामिल भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं पार्सल। टॉप की बेट देहोकी, तहसील एवं जिला सोलन (हि.प्र. 173211)	मांग सूचना तिथि 01.03.2019 बकाया राशि रु. 24,83,231.70, 28.02.2019 से तथा आगामी ब्याज उन पर चाजेस एवं लागत यदि कोई कम वसूली हो, कब्जे की तिथि : 10.05.2019	(i) रु. 22.05 लाख (ii) रु. 2.21 लाख (iii) 10,000/-	31.10.2019 को 11.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य
2.	शाखा कार्यालय : कुल्लू हि.प्र. फोन नं. 01902-224108 ई-मेल bm0800@obc.co.in ऋणी : श्री घनश्याम पुत्र श्री ज्योति स्वरूप शर्मा, गांव भटग्रां, पी.ओ. पिपलगा, तहसील भूंतर एवं जिला	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री ज्योति स्वरूप शर्मा के नाम में स्थित गांव भटग्रां, पी.ओ. पिपलगा फटी दियार, कोठी कोटकंडी तहसील भूंतर, जिला कुल्लू (हि.प्र.) में स्थित वर्ष 2002-2003 हेतु जमाबंदी में खाता एवं खतौनी सं. 456 मिन/660 में खसरा सं. 3611/1444 के तहत शामिल कुल भूमि माप 00-09-15 बीघा के सामयिक बंधक आवासीय संपत्ति माप 00-03-00 बीघा माप 60/195 हिस्सा/चौहट्टी : उत्तर : श्री टेक चंद की भूमि, दक्षिण ढब्वी देवी की भूमि, पूर्व : पहुंच सड़क, पश्चिम : मंदिर। कुल्लू (हि.प्र.) गारंटर : श्री देवी चंद पुत्र श्री बुद्ध राम गांव मियान बेहर, पी.ओ. धलपुर, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.)	मांग सूचना तिथि 12.10.2012 बकाया राशि : रु. 10,77,827/- एवं 01.09.2013 से उस पर ब्याज, चार्ज एवं लागत यदि कोई कम वसूली हो, कब्जा की तिथि : 19.09.2013	(i) रु. 9.70 लाख (ii) रु. 0.97 लाख (iii) रु. 10,000/-	31.10.2019 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य
3.	शाखा कार्यालय : सुंदरनगर, पुस्मा बाजार, सुंदर नगर जिला मंडी हि.प्र. 174402, फोन 01907-262704, ई-मेल : bm0167@obc.co.in ऋणी : मै. लाख डाय ट्रेडर्स (इनके प्रोपराइटर के	मुहाल बासरू/205, तहसील सदर, जिला मंडी (हि.प्र.) में स्थित वर्ष 2002-03 हेतु जमाबंदी अनुसार खेवट खतौनी सं. 79/111 खसरा सं. 189, 190, 199, 200, 218, 219, 314, 513/76 कित्ता-8 में शामिल कुल भूमि माप 06-18-14 बीघा में 1/120 भाग सेल डीड सं. 1078, बही सं. 1 जिल्द सं. 162, सफा नं. 76, अतिरिक्त बुक सं. 1, पेज सं. 26-29 तिथि 19.09.2007 माप 0-06-19 बीघा अर्थात 278 वर्ग मी., श्री होशियार सिंह पुत्र श्री लोहार के नाम में संपत्ति के पंजीकरण बंधक। गांव डंडोट, पोस्ट ऑफिस धवन, तहसील बालह, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।	मांग सूचना तिथि - 05.12.2017 बकाया राशि रु. 3,61,240/-, 01.12.2017 से उस पर ब्याज, लागत एवं चार्ज सहित, यदि कोई कम वसूली हो, कब्जा की तिथि 15.02.2018	(i) रु. 1.87 लाख (ii) 0.19 लाख (iii) रु. 10,000/-	31.10.2019 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य।
4.	शाखा कार्यालय : धर्मशाला कोतवाली बाजार, धर्मशाला (हि.प्र.) फोन नं. 01892-229483 ई-मेल : bm1029@obc.co.in ऋणी : श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद 2. श्रीमती सोनिया सहोता पत्नी श्री दीपक कुमार दोनों निवासी गांव टिका चट्टर पी.ओ. योल कैंट, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के शाखा कार्यालय धर्मशाला जिला कांगड़ा हि.प्र. के पक्ष में बंधक नई होंडा मोविलियो कार चेसी सं. MAKDD575AFN005483, इंजन सं. N15A11318195 एवं मोडल Mobolio/1.5 आरएस (ओ) MT IDTEC वाहन सं. एचपी-68ए-1594, हाईपॉथिकेशन	मांग सूचना की तिथि 18.01.2016 बकाया राशि रु. 10,65,007/- लागत प्रभार 31.12.2015 से लागू ब्याज एवं वसूली यदि हुई है घटकर कब्जे की तिथि 15.07.2019	(i) रु. 3.72 लाख (ii) रु. 0.38 लाख (iii) रु. 10,000/-	31.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक
5.	शाखा कार्यालय : धर्मशाला कोतवाली बाजार धर्मशाला (हि.प्र.) फोन नं. 1892-229483 ई-मेल : bm1029@obc.co.in ऋणी/जजमेंट डिबेटर 1. मै. निर्मल एल्यूमीनेशन अपने प्रोपराइटर श्रीमती कंचना देवी पत्नी श्री रवी चंद निवासी गांव बलेहर पीओ तंग नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176052 (2) श्रीमती कंचना देवी पत्नी श्री रवी चंद प्रो. निर्मल एल्यूमीनेशन निवासी गांव नतेहर तहसील एवं जिला कांगड़ा हि.प्र. के माध्यम से ऋणी/जजमेंट डिबेटर : स्व. श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री दूलो राम, जब से मृतक हैं अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से 1. श्रीमती पवना देवी पत्नी स्व. श्री प्रकाश चंद (II) श्री कमल कुमार पुत्र स्व. श्री प्रकाश चंद (III) श्री कपिल कुमार पुत्र स्व. श्री प्रकाश चंद सभी क्र.सं. (I) एवं (III) निवासी गांव बधनी, पी.ओ. सिद्धवरी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) (4) श्री रविंदर सिंह पुत्र श्री मंगी राम, निवासी वीपीओ दारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) (5) श्री रवि चंद पुत्र श्री मनी राम, निवासी वीपीओ दारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	स्व. श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री दूलो राम निवासी गांव बधनी पी.ओ. सिद्धवरी तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.) द्वारा बंधक हदबस्त सं. 390 गांव बधनी मौजा सिद्धवरी तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा हि.प्र. में स्थित जमाबंदी वर्ष 2010-11 में शामिल खसरा सं. 1652/1043 खाता खतौनी सं. 314/557 में शामिल भूमि का ईक्यूएम माप 00-3-05 हेक्टा. कुल भूमि माप का भाग 00-29-89 हेक्टा.	मांग सूचना दिनांक 07.05.2019 बकाया राशि रु. 21,95,678/- मुकद्दमे की तिथि अर्थात 15.01.2013 से निर्णय की तिथि तक दोनों टर्म ऋण खातों में मासिक अवशेष सहित 13.75% दर से आगामी ब्याज एवं लागत सहित कब्जे की तिथि 20.08.2019	(i) रु. 14.75 लाख (ii) रु. 1.48 लाख (iii) रु. 10,000/-	31.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें :-

1. नीलामी वेबसाइट <http://www.bankeauctions.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 31.10.2019 को "जहां है जैसी है" और जो है जैसी है" और "वहां जो कुछ भी है आधार" पर आयोजित की जाएगी। 2. ईएमडी और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय 29.10.2019 को 04.00 बजे है। 3. इच्छुक बोलीदाताओं को बाधाओं, संपत्तियों के हक से संबंधित अपने स्वयं के स्वतंत्र रूप से पूछताछ करना चाहिए एवं निरीक्षण करके स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। संपत्ति बैंक की ज्ञात या अज्ञात वर्तमान और भविष्य की सभी अवधारों के साथ बिक्री की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी के साथ पहले से नियुक्ति लेकर किसी कार्यदेवस में संपत्ति का निरीक्षण 30.09.2019 से 28.10.2019 के बीच 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है। 4. इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि किसी न्यायालय/अधिकरण/फोरम द्वारा नीलामी प्रक्रियाओं में स्थगन पारित होने की स्थिति में, यदि होता है, बोलीदाताओं द्वारा जमा किसी राशि पर बैंक कोई लागत, क्षति, नुकसान भरपाई का भुगतान नहीं करेगा। बैंक किसी रूप में संपत्ति के खाली कब्जा सौंपने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव की स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी के किसी या सभी प्रस्तावों को रद्द या स्वीकार करने या निरस्त/स्वगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार रखता है। 6. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा की है तथा लॉगइन आईडी बनाने तथा पासवर्ड अपलोडिंग डाटा प्रस्तुतीकरण बोली, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण, आदि में सहायता चाहते हैं, वह मेसर्स अंतारेस सिस्टम्स लिमिटेड, पता # 24, सुधा काम्पलेक्स, तृतीय स्टेज, 4वां खंड, बाशावश सेंजर, बेंगलोर-560079, संपर्क व्यक्ति श्री विनोद सिंह बोस, मोबाईल : 9718227288, ई-मेल : vinodsingh.b@antaressystems.com एवं श्री कुशल बोस +91-7686913157, ई-मेल kushal.b@anattressystems.com, टोल फ्री : 18001026185, लैंडलाईन 080-49352000 पर संपर्क करें। 7. क्रेता को लागू स्टैम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी/स्वानांतरण प्रभार शुल्क आदि और किसी के प्रति वैधानिक/गैर वैधानिक बकाया, करों, दरों, आकलन शुल्कों, शुल्क आदि वहन करेंगे। 8. लागू दरों के अनुसार चल संपत्ति की बिक्री पर जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। 9. क्रेता/आवेदक हिमाचल प्रदेश टर्नेसी और और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 और अन्य स्थानीय कानून, हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों एवं विनियमन का पालन करेंगे। 10. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी शुल्क, गहणाधिकार, अवधारों या सरकार के प्रति किसी अन्य बकायों या ई-नीलामी चल/अचल संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.obcindia.co.in और <https://bankeauctions.co.in> का संदर्भ ग्रहण करें)

सिक्चरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 6 (2), 8(6) एवं 9 (1) के तहत वैधानिक 30/15 दिनों की बिक्री सूचना।

यदि ऋणियों या जमानतदारों की ओर से बैंक का बकाया के साथ सभी लागत, प्रभार, और बैंक द्वारा उत्पन्न व्ययों को या उसके भाग जो बैंक को स्वीकार्य हो सकता है बिक्री की निर्धारित तिथि के पहले प्रस्तुत किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर संपत्तियों की बिक्री निरस्त/रद्द की जा सकती है।

दिनांक : 28.09.2019

स्थान : शिमला (हि.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स